न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 7/2022 GCMS 2022/12

वादी

1. रामेश्वरलाल पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नानुराम पुत्र श्योजीराम
2. जयराम खीचड पुत्र राजुराम
3. अशोक खीचड़ पुत्र मदनलाल
4. राजुराम पुत्र नानुराम
5. मदनलाल पुत्र नानुराम
6. गणेश पुत्र राजुराम
7. अनिता पुत्र मदनलाल नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मदनलाल पुत्र नानुराम
8. आशा देवी पत्नी मोतीराम
9. गीता पुत्र मोतीराम वगैरह जाति जाट निवासीगण भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी

दावा बाबत अधिकरो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग व अवैध एवं शून्य करवाने बक्शीश व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 R.T.Act 1955

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(डी) सी.पी.सी. दिनॉक 11.10.2022

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री रमेश कुमार चौधरी अधिवक्ता 1 से 3 की ओर से।

आदेश

दिनॉक 27.01.2023

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत कर कथन किया है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादी द्वारा विषयक भूमि जो ग्राम भंवरपुरा के खेत गत खसरा नम्बर 44 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44/1 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 48 बीघा व खसरा नम्बर 42 व 42/1 खातेदारी की अवस्थित ही, द्वितीय भू–प्रबन्ध के दौरान इन खसरो के नये खसरा नम्बर 130 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 2.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 133 रकबा 0.29 हक्टर, खसरा नम्बर 139 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.65 हैक्टर कुल रकबा 7.16 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 126 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 3.03 हैक्टर कुल रकबा 3.07 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 124 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 4.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 127 रकबा 4.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 129 रकबा 5.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 651/129 रकबा 0.03 हैक्टर कुल रकबा 19.19 हैक्टर है जो वादी की पैतृक

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सम्पति होने व वादी का हक हिस्सा होने के आधार पर दिनॉक 26.08.2021 को हुये बक्शीशनामें को अवैध व शून्य घोषित कराने व अधिकारो की घोषणा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनॉक 26.02.2010 को पारिवारिक समझौता के आधार पर पेश किया गया है जबकि दिनॉक 26.012.2010 को किसी तरह का कोई पारिवारिक समझौता नही किया गया है, यदि ऐसा कोई पारिवारिक समझौत होता तो वादी द्वारा पूर्व में ही इस पारिवारिक समझौता के आधार पर दीवानी व आपराधिक कार्यवाही कर सकता था, वादी को पारिवारिक समझौता की जानकारी उसके निष्पादन के दिन से ही थी इस कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मयाद बाहर होने के कारण काबिले खारिज के हैं Family Arrangement or settlement deed (फैमिली एरेंजमेन्ट ऑफ सेटलमेन्ट डीड) इसमें सम्पति का हस्तानान्तरण नही होता है व्यवस्थपक (Settler)के जीवनकाल तक स्वामित्व उसी का होता है इस दस्तावेज का पंजियन धारा 2 (24) भारतीय मुद्रांक अधिनियम के तहत अनिवार्य है, इस कारण वाद पत्र काबिल खारिज है। वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया गया है उसमें बंटवारा होल्डिंग के सम्बन्ध में मुख्य अनुतोष चाहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में जो बख्शीशनामा निष्पादित किया गया है वो पूर्णतया विधिवत है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वाद विषयक भूमि का बंटवारा होल्डिंग चाहा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के दादा है तथा प्रतिवादी सं. 4 आज भी जीवित है इस कारण वादी अपने दादा व पिता के जीवनकाल में राजस्व भूमि के बंटवारे का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 2360/2016 उत्तम बनाम शोभागसिंह निर्णय दिनॉक दिनॉक 02.03.16 एवं सिविल अपील संख्या 5889/2009 बउनवान राधाबाई बनाम रामनारायण व अन्य में पारित निर्णय दिनॉक 20.11.2019 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "Grand son has no birth Right in grand father's Properties to claim partition life tine of his father" I इस कारण भी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नही होने से काबिल ए खारिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर व उचित व आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के अभाव में पेश किया है इस संयोजन के अभाव में वादी का वाद पत्र काबिले खारिज के है वादी द्वारा अपने प्रस्तुत वाद पत्र में छोटीदेवी व जमनादेवी को पक्षकार नही बनाया है इसके साथ ही नानूराम की बहनो को भी उचित एवं आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी वाद पत्र में बतौर पक्षकार संयाजित नही किया गया है। वादी द्वारा पूर्व में एक वाद पत्र वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, परबतसर में दीवानी वाद संख्या 84/2021 बउनवान रामेश्वरलाल बनाम नानुराम व अन्य का पेश किया गया था, उक्त वाद पत्र दिनॉक 03.12.2021 को विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया है, वादी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर बदनियति पूर्वक उन्ही तथ्यों को आधार बनाकर नया वाद पत्र पेश किया गया है जो वादी की बदनियति का द्योतक है इसलिए वादी का वाद पत्र काबिल खारिज है, प्रतिवादीगण की इस्तदुआ है कि प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी के तहत स्वीकार कर वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त [illegible] भूमि है तथा राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 207 के नीचे बने परिशिष्ट 3 के अनुसार राजस्व भूमि के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। प्रतिवादी द्वारा अपने पूरे प्रार्थना–पत्र में यह कही

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अंकित नही किया गया है कि यह वाद किस तरह विधि द्वारा वर्जिह है। वादग्रस्त भूमि वादी की Coparcenary जायदाद है जिसमे धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी बाई बर्थ अधिकार है जिसकी घोषणा करवाने के लिए वादी द्वारा वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद में वर्णित समझौता दिनॉक 26.02.2010 वादी व प्रतिवादीगण की पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार यादाशत के लिए लिखा गया है जिसके पंजियन की कोई आवश्यकता नही है, उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात के सम्बन्ध में बक्शीशनामें को शून्य घोषित करवाने का वाद माननीय सिविल न्यायालय में वाद संख्या 84/2021 पेश किया गया था परन्तुत सिविल न्यायालय परबतसर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्यारेलाल बनाम सुभद्र पिलानिया का हवाला देते हुये उक्त वादग्रस्त सम्पति राजस्व भूमि होने से वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना लिखकर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया गया है, वाद संख्या 84/2021 सिविल न्यायालय में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर पेश किया गया था कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है, प्रतिवादी अपने सिविल न्यायालय में किये गये कथनो से Estoped है और अब कानूनू विरूद्व एवं अपने पूर्व के कथनो के विरूद्व प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना–पत्र को तय करने में माननीय न्यायालय को केवल मात्र वादी के वाद का पठन करना है प्रतिवादी के डिफेंस को नही देखना है जहॉ तक मियाद का प्रश्न है मियाद का प्रश्न साक्ष्य एवंत थ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसे तनकियात बनाकर साक्ष्य ली जाकर ही तय किया जा सकता है अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान की प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। दोनो पक्षो ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये। वादी वकील द्वारा नजीरे प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली उपलब्ध है। Citation:2022 (2)DNJ (Rev.)1324 Bord of revenue For rajasthan, Ajmer Decided 1-9-2022 Chaturaram Versus Gavarki & Ors, Page 1324-1327,

Citation:2015 (4)DNJ (Rev.)1819 Rajasthan High court, Decided 30-10-2015 Keshari chand Brahmin Versus Shodai Page 1324-1327,

2019(1)CJ(Civ.)(SC) Pyarelal vs. Shubhendra Pilania 81 प्रस्तुत किये। समझौता पत्र दिनॉक 26.02.2010 का अवलोकन किया गया जिसमें खसरा नम्बर 124, 125, 126, 127, 128, 29, 131, 144, 145, 651/129 कुल रकबा 19.19 हैक्टर में स्थित हक हिस्से का लिखा गया है, जबकि वाद पत्र इसके अलावा अन्य खसरा नम्बर 130, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143 कुल रकबा 7.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 136, 137 कुल रकबा 3.07 हैक्टर का भी प्रस्तुत किया गया है, समझौता पत्र का पंजियन नही हुआ है तथा पारिवारिक व्यवस्था अनुसार पिता एवं दादा के जीवन काल में लागू नही हो राकती। उपरोक्त रामझौता पत्र में मकानात ढ़ाणी एवं कुछ हिस्सा भूमि का ही कथन है। [illegible] के पुत्र [illegible] मदनाराम तथा राजुराम के पुत्रो एवं मदनाराम के पुत्र पुत्री को ही सजरा खानदा[illegible] ब[illegible] गया है जबकि नानुराम की पत्नी एवं पुत्रियो को नही बताया गया है। वादी के [illegible] बक्शीशनामा दिनॉक 26.08.2021 के जरिये राजस्व रेकार्ड में भूमि अशो[illegible] पुत्र मदनाराम, [illegible]यराम पुत्र राजूराम के भूमि दर्ज हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 40 में अभिधारियों का उत्तराधिकार स्वीयं विधि के अनुसार न्यागत होने के प्रावधान है तदनुसार हिन्दू पुरूष की दशा में हिन्दू उत्तराधिकार 1956 के प्रावधान अनुसार पैतृक जोत (भूमि) में पिता व दादा के जीवित रहते हुये पौत्र अपने दादा से हक की मांग नही कर सकता। तदनुसार उक्त दोनो अधिनियमों के मिश्रित उपबन्धो अनुसार राजस्थान अभिधृति अधिनियम में ऐसा प्रावधान नही है जो यह परिकाल्पित करता हो कि एक खातेदार कृषक अपने परिवार के सदस्यों की ओर से जोत (भूमि) धारित करता है,धारा 40 में केवल यह उपबन्ध है कि उसकी मृत्यु पर उत्तराधिकार न्यागत होगा न कि उसके जीवनकाल में।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/09/पी.1/2016 दिनॉक 17.05.2016 के द्वारा भी आदेश 7 नियम 10 व 11 C.P.C. के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की गई है कि वाद पत्र के अवलोकन मात्र से दावा यदि विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) पाया जावें या क्षेत्राधिकार के बाह हो तो वादी का पक्ष सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करे और प्रतिवादीगण को अनावश्यक सम्मन जारी नहीं करे।

उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित परिलक्षित है क्योंकि वादी द्वारा वांछित अनुतोष हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार विधि द्वारा वर्जित है। माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर उत्तम बनाम शोभागसिंह सिविल अपील सं. 2360/2016 निर्णय तिथि 02.03.2016 के अनुसार पिता व दादा के जीवनकाल में पौत्र अपने दादा से हक की मांग नही कर सकता एवं व्यवस्था पत्र भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2 (24) के अन्तर्गत पंजियन अनिवार्य है, वाद पत्र के द्वारा वांछित अनुतोष कि " बक्शीशनामा अवैध व पारिवारिक व्यवस्था के विरूद्व होने से शून्य है एवं प्रतिवादी सं. 51 के कार्यालय में उक्त बक्शीश पर इस आशय का नोट लगाया जावे। "

उक्त अनुतोष के पठन मात्र से ही स्पष्ट है कि अनुतोष अनुसांगिक नही होकर वास्तविक एवं तात्विक अनुातेष ह जिसका क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है।

वाद पत्र के द्वारा वांछित अनुतोष कि " बक्शीशनामा अवैध व पारिवारिक व्यवस्था के विरूद्व होने से शून्य है एवं प्रतिवादी संख्या 51 के कार्यालय में उक्त बक्शीश पर इस आशय का नोट लगाया जावे।"

उक्त अनुतोष के पठन मात्र से ही स्पष्ट है कि अनुतोष अनुसांगिक नही होकर वास्तविक एवं तात्विक अनुतोष है जिसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है।

प्रस्तुत उद्वरण प्रार्थना–पत्र जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 (डी) C.P.C. साबित होने से स्वीकार कर वाद–पत्र वादी खारिज काबिल है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) C.P.C. स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 27-1-2023 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)